रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 384] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 8, 2018/ ज्येष्ठ 18, 1940
No. 384] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 8, 2018/ JYAISTHA 18, 1940

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2018

सा.का.नि. 532(अ).— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह 'क पद) भर्ती नियम, 2011 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, राष्ट्रपति एतदद्वारा विदेश मंत्रालय के केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में पासपोर्ट अधिकारी, उप पासपोर्ट अधिकारी और सहायक पासपोर्ट अधिकारी (समूह 'क पद) के पदों की भर्ती के तरीकों को विनियमित करने के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

   . इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह 'क) पद भर्ती नियम, 2018 है।

   . ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **अनुप्रयोग :** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर –** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि –** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **अनर्हता:** कोई व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इस तथ्य से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के मामले में लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों में उल्लिखित कोई बात, आरक्षण, आयु सीमा में छूट और ऐसी अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष कोटि के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक पासपोर्ट अधिकारी	135*(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल 10	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।
8	9	10	11
लागू नहीं होता	पदोन्नत अधिकारियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 में वरिष्ठ अधीक्षक जिन्होंने ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। टिप्पणी : यदि अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है तो उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवावधि के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी जो- क. ( ) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर धारित सदृश पद पर हों, या ( ) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 8 वाले या समकक्ष पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति होने के पश्चात् ग्रेड में दो वर्ष की सेवा की

			हो; और ख. निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; ( ) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी कार्यालय में पासपोर्ट या कौंसुली या उत्प्रवासन या प्रशासन या वित्त या लेखा या सतर्कता कार्य में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1** : प्रदायक कोटि के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे :- अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष अपर सचिव, विदेश मंत्रालय में कौंसुली पासपोर्ट और वीजा प्रभाग के प्रभारी -सदस्य संयुक्त सचिव (पासपोर्ट सेवा परियोजना) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी, विदेश मंत्रालय - सदस्य विदेश मंत्रालय में दो संयुक्त सचिव - सदस्य **विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे :-** संयुक्त सचिव (पासपोर्ट सेवा परियोजना) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी, विदेश मंत्रालय - अध्यक्ष निदेशक या उप सचिव, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के प्रशासन के प्रभारी - सदस्य विदेश मंत्रालय से उप सचिव या अवर सचिव - सदस्य केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के उप पासपोर्ट अधिकारी -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

1	2	3	4	5	6	7
उप पासपोर्ट अधिकारी	71*(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल 11	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में सहायक पासपोर्ट अधिकारी जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। टिप्पणी : यदि अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है तो उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवावधि के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति : केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी जो- क. ( ) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर धारित सदृश पद पर हों; या ( ) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 वाले या समकक्ष पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति होने के पश्चात ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; और ख. निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; ( ) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी कार्यालय में पासपोर्ट या कौंसुली या उत्प्रवासन या प्रशासन या वित्त या लेखा या सतर्कता कार्य में सात वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1** : प्रदायक कोटि के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

12	13
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे :- अपर सचिव, विदेश मंत्रालय में कौंसुली पासपोर्ट और वीजा प्रभाग के प्रभारी - अध्यक्ष संयुक्त सचिव (पासपोर्ट सेवा परियोजना) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी, विदेश मंत्रालय - सदस्य विदेश मंत्रालय में तीन संयुक्त सचिव - सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

1	2	3	4	5	6	7
पासपोर्ट अधिकारी	17*(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल 12	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 में उप पासपोर्ट अधिकारी जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। टिप्पणी : यदि अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है तो उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवावधि के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी जो- क. () मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर धारित सदृश पद पर हों; या () मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 वाले या समकक्ष पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति होने के पश्चात ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; और ख. निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों :- () किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; () केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी कार्यालय में पासपोर्ट या कौंसुली या उत्प्रवासन या प्रशासन या वित्त या लेखा या सतर्कता कार्य में दस वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1** : प्रदायक कोटि के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12	13
समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे :- अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष अपर सचिव, विदेश मंत्रालय में कौंसुली पासपोर्ट और वीजा प्रभाग के प्रभारी -सदस्य संयुक्त सचिव (पासपोर्ट सेवा परियोजना) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी, विदेश मंत्रालय - सदस्य विदेश मंत्रालय में दो संयुक्त सचिव - सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं. सी डी आर.II/801/01/2016]

अरूण कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (पी एस पी) एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2018

G.S.R. 532(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of External Affairs, Central Passport Organisation (Group 'A' Posts), Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of the Passport Officer, Deputy Passport Officer and Assistant Passport Officer (Group 'A' posts) in the Central Passport Organisation of the Ministry of External Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of External Affairs, Central Passport Organisation (Group 'A') Posts Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** – These rules shall apply to the posts mentioned in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and Pay Level in the Pay Matrix** .- The number of the said posts, their classification and the Pay Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to 4 of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the above said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** – No person,-

Shall be eligible for appointment to the said post:

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

7. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of Post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Passport Officer	135* (2018) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level-10	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & % of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for Promotees	By Promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)

Promotion :

1. Senior Superintendent in Level-8 of the Pay Matrix of the Central Passport Organisation with two years' regular service in the Grade.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation :

Officers under the Central Government or State Government or Union Territory Administrations -

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; or

(ii) with two years' service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Level-8 of the Pay Matrix or equivalent in the parent Cadre or Department; and

(b) possessing following educational qualifications and experience:

(i) Bachelor's degree from a recognised University or Institute;

(ii) Three years experience in Passport or Consular or Emigration or Administration or Finance or Accounts or Vigilance work, in a Central or State Government Office

Note 1 : The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six

years as on the closing date of receipt of applications.

If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1.Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Additional Secretary In-charge of Consular Passport and Visa Division in the Ministry of External Affairs - Member 3. Joint Secretary (Passport Seva Project) and Chief Passport Officer, Ministry of External Affairs - Member 4.Two Joint Secretaries in the Ministry of External Affairs - Members **Departmental Confirmation Committee** **(for considering confirmation) consisting of :-** 1. Joint Secretary (Passport Seva Project) and Chief Passport Officer, Ministry of External Affairs - Chairman 2. Director or Deputy Secretary in charge of Administration of the Central Passport Organisation - Member 3. Deputy Secretary or Under Secretary from Ministry of External Affairs - Member 4. Deputy Passport Officer of the Central Passport Organisation - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Passport Officer	71* (2018) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level-11	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not Applicable	By Promotion failing which by deputation

(11)
Promotion: Assistant Passport Officer in Level-10 in Pay Matrix of the Central Passport Organisation with five years' regular service in the Grade. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation** : **Officers under the Central Government or State Government or Union Territory Administrations -** (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in Level-10 of the pay matrix or equivalent rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (i) Bachelor's degree from a recognised University or Institute;

(ii) Seven years experience in Passport or Consular or Emigration or Administration or Finance or Accounts or Vigilance work, in a Central or State Government office.

Note 1 : The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Additional Secretary In-charge of Consular Passport and Visa Division in the Ministry of External Affairs - Chairman 2. Joint Secretary (Passport Seva Project) and Chief Passport Officer, Ministry of External Affairs - Member 3. Three Joint Secretaries in the Ministry of External Affairs - Members	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Passport Officer	17* (2018) * Subject to variation depending on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level-12	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by deputation

11

Promotion:

Deputy Passport Officer Level-11 in Pay Matrix of the Central Passport Organisation with five years' regular service in the Grade.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation :

Officers under the Central Government or State Government or Union Territory Administration-

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Level-11 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience :

(i) Bachelor's degree from a recognised University or Institute;

(ii) Ten years experience in Passport or Consular or Emigration or Administration or Finance or Accounts or Vigilance work, in a Central or State Government Office.

Note 1 : The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for

consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2. Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Additional Secretary In-charge of Consular Passport and Visa Division in the Ministry of External Affairs - Member 3. Joint Secretary (Passport Seva Project) and Chief Passport Officer, Ministry of External Affairs - Member 4. Two Joint Secretaries in the Ministry of External Affairs - Members	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation

[No.CDR.II/801/01/2016]

ARUN KUMAR CHATTERJEE,Jt. Secy. (PSP) & Chief Passport Officer

RAKESH SUKUL

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.